6

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–218/2022

रामनारायण पुत्र श्री रूपराम पि0मु0 बस्तीराम (फौत)

1/1–ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामनारायण आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1– भागीरथ पुत्र स्व0 श्री रामनारायण जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2– जोतराम पुत्र स्व0 श्री रामनारायण जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :– 1. श्री लालचंद वर्मा–अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता –अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता –अप्रार्थी संख्या 2

:: आदेश :: **दिनांक** 26.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2022 को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 3 यूटीएस तहसील हनुमानगढ के पत्थर नंबर 55/212 (31) के किला नंबर 20 से 25, पत्थर नंबर 55/213 (44) के किला नंबर 1, 2 से 14 व 17 से 24 कुल 6.286 है0 भूमि के संबंध में राजस्व वाद संख्या 127/2013 शीर्षक "भागीरथ बनाम रामनारायण" प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 28.03.2016 को डिक्री किया जाकर चक 3 यूटीएस तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 55/213 (44) के किला नंबर 5 से 9, 10/0.114, किला नंबर 11/0.164, 12/0.126, 13/0.253 कुल 1.922 है0 का वादी भागीरथ को खातेदार घोषित किया गया। इस डिक्री की पालना में इंतकाल संख्या 489 दिनांक 30.03.2016 को स्वीकृत हुआ। इस न्यायालय की उक्त डिक्री दिनांक 28.03.2016 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या 5/2016 व 22/2016 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 15.04.2019 को स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2016 को अपास्त किया जाकर [illegible] किया गया। वादी भागीरथ ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के उक्त [illegible] 15.04.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या [illegible] प्रस्तुत की जो दिनांक 04.01.2022 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी [illegible] उक्त निर्णयों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि इस न्यायालय [illegible] डिक्री दिनांक 28.03.2016 निरस्त हो जाने के उपरांत इस डिक्री के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 489 दिनांक 30.03.2016 के अनुसरण में राजस्व अभिलेख में वादी भागीरथ का नाम चला आ रहा है, इसलिए जमाबंदी में निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:21 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर दिनांक 02.12.2022 को प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ को प्रश्नगत कृषि भूमि चक 3 यूटीएस खाता संख्या 91/109 जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के पत्थर नंबर 55/213 (44) के किला नंबर 5 से 9, 10/0.114, 11/0.164, 12/0.126, 13/0.253 कुल 1.922 है0 की राजस्व रिकार्ड में दिनांक 28.03.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश पारित किये गये। वादी भागीरथ ने इस आदेश दिनांक 02.12.2022 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की जाकर पुनः सुनवाई हेतु यह प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर अप्रार्थी संख्या 2 जोतराम ने इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर उसे अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी/भागीरथ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत करते हुए यह आपत्ति की है कि प्रार्थी रामनारायण को इंतकाल संख्या 489 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, इसके अतिरिक्त यह आपत्ति की कि प्रश्नगत कृषि भूमि के सबंध में इस न्यायालय के समक्ष एक अन्य राजस्व वाद संख्या 119/2016 शीर्षक "जोतराम बनाम रामनारायण" विचाराधीन है तथा उक्त वादपत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी रामनारायण का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। यह भी कथन किया गया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है तथा वादी भागीरथ का भाई ओमप्रकाश येनकेण प्रकारेण उक्त सम्पति को हड़पना चाहता है तथा रामनारायण की मानसिक व शारीरिक स्थिति का फायदा उठाकर उसके ज्ञान व सहमति के बिना यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 2 जोतराम ने पक्षकार बनने के बावजूद कोई जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी रामनारायण का देहांत होने पर उसके वसीयती उत्तराधिकारी के रूप में प्रार्थी संख्या 1/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामनारायण को पक्षकार बनाया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी संख्या 1/1 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किये कि इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2010 में दिनांक 28.03.2016 को निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थी/वादी भागीरथ के पक्ष में चक 3 यूटीएस खाता संख्या 91/109 जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के पत्थर नंबर 55/213 (44) के किला नंबर 5 से 9, 10/0.114, 11/0.164, 12/0.126, 13/0.253 कुल 1.922 है0 का खातेदार घोषित किया गया था तथा इस डिक्री के अनुसरण में इंतकाल संख्या 489 दर्ज हुआ। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष दो अपीले अपील संख्या 305/2016 व 36/2016 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 15.04.2019 को स्वीकार होकर इस न्यायालय का निर्णय व डिग्री दिनांक 18.03.2016 को निरस्त किया जा चुका है। अप्रार्थी भागीरथ ने उक्त निर्णय दिनांक 15.04.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील सं0 1917/2019 व 1918/2019 प्रस्तुत की जो दिनांक 04.01.2022 को खारिज हुई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 1/1 का यह तर्क है कि इंतकाल सं0 489 [illegible] 30.03.2016 इस न्यायालय की जिस डिक्री दिनांक 28.03.2016 की [illegible] में दर्ज [illegible] है [illegible] डिक्री अपास्त की जा चुकी है। अतः धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार [illegible] चुकी डिक्री के आधार पर दर्ज इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल की जाना कानूनन आवश्यक है। अपने इन तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टान्त आरआरटी 2018–19 (सपलीमेन्ट[illegible]) पृष्ठ 357, डीएनजे 2020 (रेवेन्यू) पृष्ठ 553 व डीएनजे 2021 (1) (रेवेन्यू) पृष्ठ 98 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थीगण ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इंतकाल सं0 489 सक्षम न्यायालय की डिक्री से दर्ज हुआ है तथा ऐसे इंतकाल आदेश के विरूद्ध अपील ही पोषणीय है। प्रार्थी को धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार इस इंतकाल को निरस्त करवाने का अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:21 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों के तर्को प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चक 3 यूटीएस का इंतकाल सं0 489 इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 28.03.2016 की पालना में दर्ज हुआ है तथा यह डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अपील में अपास्त की जा चुकी है व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 15.04.2019 द्वितीय अपील में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा संपुष्ट किया गया है। इस प्रकार उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार इंतकाल संख्या 489 जो इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 28.03.2016 की पालना में दर्ज हुआ है, वह डिक्री वर्तमान में प्रभाव में नहीं है तथा इंतकाल संख्या 489 दिनांक 30.03.2016 के अनुसरण में राजस्व अभिलेख में जो परिवर्तन हुआ है, वह धारा 144 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार दिनांक 30.03.2016 से पूर्व की स्थिति में बहाल की जाना कानूनन आवश्यक है। धारा 144 सीपीसी के प्रावधान आज्ञापक है। अप्रार्थीगण का यह तर्क कि इंतकाल सं0 489 के विरूद्ध पृथक से अपील की जानी चाहिए, बल नहीं रखता। प्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त न्याय दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामनारायण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को इस आशय का आदेश दिया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो चक 3 यूटीएस तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 91/109 जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के पत्थर नंबर 55/213 (44) के किला नंबर 5 से 9, 10/0.114, 11/0.164, 12/0.126, 13/0.253 कुल 1.922 है0 के संबंध में दर्ज इंतकाल सं0 489 दिनांक 30.03.2016 से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल की जावे।

आदेश आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मांगीलाल(RAS)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:21 IST
Reason: SelfAttested